

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.



मि0न0 - 36/2024

अनवान : -

1. रामेश्वरलाल पुत्र हरफूलसिंह जाति जाट निवासी गणेशपुरावास भादरा त0भादरा।

-प्रार्थी

वनाम्

1. जसवंत सिंह पुत्र हरफूलसिंह जाति जाट निवासी गणेशपुरावास भादरा त0भादरा।
2. तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251

ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए

उपस्थिति :- श्री सतवीर पुनियां प्रार्थी

श्री मांगेराम हुड्डा अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक: 15/1/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता सं0 229/173 के मु0 न0 93 के किला न0 6, मु0 न0 94 के किला न0 1, 10, 11, 19, 20 कुल 1.518है0 बारानी खातेदारी प्रार्थी के नाम तथा खाता सं0 173/164 के मु0 न0 94 के किला न0 2, 8, 9, 12, 13, 18 कुल 1.518है0 बारानी खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

चक 8 बारानी के खाता सं0 48/261 के मु0 न0 29 के किला न0 6, 14, 15 की 0.759है0 बारानी खातेदारी प्रार्थी के नाम व खाता सं0 47/260 के मु0 न0 29 के किला न0 7, 8, 9 की 0.759है0 बारानी खातेदारी भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दर्ज है।

चक 9 बारानी के खाता सं0 31/176 के मु0 न0 89 के किला न0 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20 कुल 2.0240है0 बारानी खातेदारी भूमि प्रार्थी के नाम से व खाता सं0 264/31 के मु0 न0 88 के किला न0 21, मु0 न0 89 के किला न0 2 ता 9, मु0 न0 90 के किला न0 1 कुल 2.5300है0 बारानी खातेदारी भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दर्ज है।

चक 10 बारानी के खाता सं0 263/247 के मु0 न0 72 के किला न0 11, 20, मु0 न0 73 के किला न0 15, 16, 25 कुल 1.2650है0 बारानी खातेदारी भूमि प्रार्थी के नाम व खाता सं0 247/132 के मु0 न0 72 के किला न0 21, मु0 न0 76 के किला न0 5, 6, मु0 न0 77 के किला न0 1, 10 कुल 1.2650है0 बारानी खातेदारी भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दर्ज है।

प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 दोनों सगे भाई हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 को अपने पिता हरफूलसिंह से विरासतन प्राप्त हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 का पहले संयुक्त खाता था। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ने सहमति से अपना खाता विभाजन करवा लिया लेकिन सहबन दोनों खातों के खेतों में आवागमन हेतु रास्ता का अंकन करवाना रह गया। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों को अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

Kalpit  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व,  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन किया गया। सम्मन शामिल होने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया। अप्रार्थी सं० 3 ने जवाब पेश किया।

वहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान वहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग-उपभोग के लिए चक 7 बाराणी के नाम भूमि के मु० न० 94 के किना न० 19 में पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण 0.0253 है० व चक 8 बाराणी में प्रार्थी के नाम के मु० न० 29 के किला न० 6 में से 0.0253 है० पूर्व से पश्चिम उत्तरी तरफ लम्बाई में तथा अप्रार्थी सं० 1 के नाम के मु० न० 29 के किला न० 7, 8, 9 प्रत्येक में उत्तरी तरफ 0.0253 है० पूर्व से पश्चिम तथा 9 बाराणी प्रार्थी के मु० न० 89 के किला न० 10 में से उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम 0.0253 है० व चक 10 बाराणी के मु० न० 76 के किला न० 5 व 6 अप्रार्थी सं० 1 के खातेदारी में से पश्चिमी तरफ उत्तर दक्षिण लम्बाई में प्रत्येक में 0.0253 है० में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है जिससे मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जावे। उक्त प्रस्तावित रास्ता पर वकील अप्रार्थीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व राजीनामा एवं जवाब का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रस्तावित रास्ता की भूमि के एवज के बदले पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही भूमि का आदान-प्रदान किया जाना स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 ता 2 की सहमती अनुसार विवादित भूमि में प्रस्तावित रास्ता स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 7 बाराणी में प्रार्थी के नाम भूमि के मु० न० 94 के किना न० 19 में पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण 0.0253 है० व चक 8 बाराणी में मु० न० 29 के किला न० 6 में से 0.0253 है० पूर्व से पश्चिम उत्तरी तरफ लम्बाई में तथा मु० न० 29 के किला न० 7, 8, 9 प्रत्येक में उत्तरी तरफ 0.0253 है० पूर्व से पश्चिम तथा 9 बाराणी के मु० न० 89 के किला न० 10 में से उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम 0.0253 है० व चक 10 बाराणी के मु० न० 76 के किला न० 5 व 6 में पश्चिमी तरफ उत्तर दक्षिण लम्बाई में प्रत्येक में 0.0253 है० रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त करें।

आज दिनांक 15/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवराम)  
R.A.S  
उपखण्ड अधिकाारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़